

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक / 3537 / 2017 / 19 / यो / 3506
प्रति,

भोपाल दिनांक 29/06/2017

प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
भोपाल।

विषय:- भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आई ए एच ई) द्वारा वर्ष 2017-18 हेतु जारी वार्षिक कैलेंडर के माह जुलाई 2017 में आयोजित दो प्रशिक्षणों में विभाग के अधिकारियों को नामांकित कये जाने बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रं 07/प्र0अ0/आई0ए0एच0ई0/ट्रे/17-17/590 दि0 03.06.2017

--0--

उपरोक्त संदर्भित पत्र अनुसार भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आई ए एच ई) द्वारा वर्ष 2017-18 हेतु जारी वार्षिक कैलेंडर के माह जुलाई 2017 में आयोजित दो प्रशिक्षणों हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु अनुमति प्रदान करता है।

सरल क्रमांक-9- Design of Bridges Including Computer Application अवधि दिनांक 10 से 14 जुलाई 2017

1	श्री आर0एन0 मिश्रा	कार्यपालन यंत्री, लो0नि0वि0 सेतु संभाग इन्दौर।
2	श्री के0के0 द्विवेदी	कार्यपालन यंत्री, लो0नि0वि0 सेतु संभाग होशंगाबाद।
3	श्री व्ही0के0 शुक्ला	कार्यपालन यंत्री, लो0नि0वि0 सेतु संभाग सिवनी।
4	श्री हरिओम अग्रवाल	अनुविभागीय अधिकारी लो0नि0वि0 सेतु उप संभाग ग्वालियर।
5	श्री रतिराम पटेल	अनुविभागीय अधिकारी लो0नि0वि0 सेतु उपसंभाग दमोह।

सरल क्रमांक-13-Code of Practice for Concrete Road Bridges (IRC:112-2011) Including Hands on Practice अवधि दिनांक 31 जुलाई से 04 अगस्त 2017

1	श्री दिनेश कुमार कौरव	का0 यंत्री लो0नि0वि0 सेतु निर्माण संभाग जबलपुर।
2	कु0 कीर्ति चौधरी	अनु0अधि0 लो0वि0वि0 सेतु संभाग क्रं 1 भोपाल।
3	कु0 सीमा प्रभाकर	अनु0अधि0 लो0वि0वि0 सेतु संभाग क्रं 1 होशंगाबाद।
4	श्री अविनाश सोनी	अनु0अधि0 लो0नि0वि0 सेतु संभाग क्रं 2 भोपाल।
5	श्री पाण्डुरंग कनाथे	अनु0अधि0 लो0नि0वि0 सेतु उपसंभाग बैतूल।

(दीपक असाई)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग
भोपाल दिनांक /06/2017

पृ0 क्रमांक
प्रतिलिपि:-

/ 3537 / 2017 / 19 / यो

डायरेक्टर भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आई ए एच ई) ए-5, सेक्टर/62, एन0एच0-24 बायपास नोयडा-201309, (उ0प्र0) इंडिया की ओर कृपया प्रशिक्षण उपरांत विभाग के अधिकारियों हेतु देयक भुगतान हेतु भेजने की व्यवस्था करे।

(दीपक असाई)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग

PATIL/ORDER- IRC-30